

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

प्रशासनिक आदेश दिनांकित 15-04-2025

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी विज्ञप्ति/निर्देश के अनुपालन में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03 रिक्त होने के कारण माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय अलीगढ़ से 'सम्यक् विचार-विमर्श, सम्मति एवं अनुमोदनोपरांत न्यायालयों में आपराधिक मामलों के सुचारु विचारण/निस्तारण हेतु निम्न कार्य वितरण आदेश पारित किया जा रहा है :-

क्र० संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालयों को प्रदत्त क्षेत्राधिकार
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,	थाना बन्नादेवी, सिविल लाईन, महुआखेड़ा, रोरावर एवं टप्पल से सम्बन्धित समस्त प्रकार के पुलिस चालानी वादों का संस्थान व विचारण यथावत रहेगा। आबकारी, सरकारी कर्मचारी, बालश्रम निषेध अधिनियम, समस्त थानों के धारा 302, 304बी, 396 भा0दं0सं0 से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद।
2.	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01	थाना कोतवाली, गंधीपार्क एवं साईबर काईम से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वादों का संस्थान व विचारण। थाना दादों, पालीमुकीमपुर एवं अतरौली के सत्र सुपुर्द किये जाने वाले वाद। आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बाट माप अधिनियम, जेड0ए0एल0आर0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-01	थाना छर्गा, गभाना, महिना थाना एवं मडराक से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वादों का संस्थान व विचारण। थाना खैर एवं पिसावा से सम्बन्धित मा0 सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये जाने वाले वाद।
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02	थाना बरला एवं हरदुआगंज से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वादों का संस्थान एवं विचारण। थाना क्वार्सी, सासनीगेट एवं सिविल लाइन्स से सम्बन्धित परिवाद। इगलास व गोण्डा के सत्र सुपुर्द किये जाने वाले वाद।
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-03	थाना क्वार्सी एवं सासनीगेट से सम्बन्धित पुलिस चालानी वादों का संस्थान व विचारण।
6.	सिविल जज (क0प्र0) त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या-2	थाना देहलीगेट, विजयगढ़, गंगीरी से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वादों का संस्थान व विचारण।
7.	अपर सिविल जज (क0प्र0), कोर्ट संख्या-1	थाना जवां, अकराबाद से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वादों का संस्थान एवं विचारण।
8.	अपर सिविल जज (क0प्र0), कोर्ट संख्या-2	थाना लोधा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वादों का संस्थान व विचारण। थाना क्वार्सी, सासनी गेट, सिविल लाइन्स के धरेलू हिंसा एवं धारा 138 एन0आई0एक्ट से सम्बन्धित वाद।

9.	अपर सिविल जज (क0प्र0), कोर्ट संख्या-3	थाना गोधा, चण्डौस से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वादों का संस्थान व विचारण। थाना बन्नादेवी, रोरावर, टप्पल एवं महुआखेड़ा से सम्बन्धित परिवाद, धरेलू हिंसा एवं धारा 138 एन0आई0एक्ट से सम्बन्धित वाद।
----	---------------------------------------	---

- नोट :- 01- उपर्युक्त के अतिरिक्त विशेष आदेश के अन्तर्गत स्थानान्तरित विचाराधीन पत्रावलियों का विचारण यथावत रहेगा।
02- ग्राम्य न्यायालय गभाना के क्षेत्राधिकार के थानों से सम्बन्धित प्रकरणों का संस्थान व विचारण यथावत रहेगा।
यह आदेश दिनांक 16-04-2025 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

दिनांक : अप्रैल 15, 2025

(शिवम कुमार) 15.04.25
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।